शिवपति स्नातकोत्तर महाविद्यालय

सम्बद्ध : सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर (उ.प्र.) 272205

शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर

कालेज कोड-604
AISHE-C-14253

उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्व विद्यालय अध्ययन केन्द्र S1899

केन्द्रीय ग्रन्थालय

- बी.ए.
- बी.एस.सी. (बायो)
- बी.एस.सी. (गणित)
- एम.ए. (हिन्दी, प्राचीन इतिहास, भूगोल)
- बी.एड.
- पी.एचडी.

- NCC
- NSS
- रोवर्स रेन्जर्स
- छात्रावास

नियमावली एवं निर्देशिका

Prospectus : 2026-27

Website : www.sppgcollege.co.in // E-mail : shivpatipgcollege@gmail.com

परमपूज्य स्व. राजा शिवपति सिंह जी

संस्थापक

राजा योगेन्द्र प्रताप सिंह

प्रबन्धक

प्राचार्य की कलम से ..

शिक्षा, किसी भी समाज में चलने वाली सोद्देश्य सामाजिक प्रक्रम है, जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, ज्ञान व कला-कौशल में वृद्धि तथा व्यवहार में परिवर्तन करते हुए सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक का निर्माण किया जाता है। इस तरह शिक्षा का तात्पर्य ज्ञान, तकनीकी दक्षता, विद्या के साथ सदाचार आदि को प्राप्त करने की प्रक्रिया है अर्थात ज्ञान की प्राप्ति शिक्षा से ही संभव है।

शिक्षित होने का तात्पर्य अक्षरों शब्दकोशों की केवल समझ ही नहीं अपितु मानवीय मर्म-कर्म-धर्म को समझना भी शिक्षित होना है। शिक्षा अपने ज्ञान के हस्तांतरण का एक प्रयास है। जिसका संगठित स्वरुप शिक्षा संस्था के रूप में काम करती है।

प्राचीन काल से ही भारत वर्ष शिक्षा और उसके महत्व के प्रति जागरुक रहा है तथा पीढ़ी-दर-पीढ़ी शिक्षा के प्रसार के निमित्त **'गुरुकुल'** की मुख्य भूमिका थी तथा अर्वाचीन काल में हमारे यहाँ अनेक विश्वविद्यालय भी स्थापित थे।

हिमालय की तलहटी क्षेत्र में अज्ञानता, अशिक्षा के अंधकार की व्याप्ति थी तभी अपने सीमित संसाधनों से शोहरतगढ़ राजघराने ने ज्ञान की अलख जागृत करने के लिए शिवपति महाविद्यालय (1964) नामक अनमोल रत्न इस क्षेत्र को दिया। अपने स्थापना काल से ही उच्च शिक्षा के उच्चतम् मानकों की अवधारणा समाज तथा देश को अनुशासित कर्तव्यनिष्ठ एवम ईमानदार नागरिक देना ही इस महाविद्यालय का संकल्प है।

अपने प्रगति पथ पर चलते हुए वर्तमान में परास्नातक भूगोल, हिन्दी, प्राचीन इतिहास के साथ साथ स्नातक स्तर में शिक्षाशास्त्र, गृहविज्ञान विषय का भी समावेश किया गया है। वर्तमान में विभिन्न विषयों में शोध कार्य भी कराया जा रहा है। स्थापना काल से ही महाविद्यालय स्नातक विज्ञान विषय तथा कला संवर्ग के शिक्षार्थियो को सुलभ ज्ञान प्राप्त कराता रहा है। सत्र 21-22 से ही उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्व विद्यालय प्रयागराज के विभिन्न पाठयक्रम भी सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं।

शिक्षा के उच्च आदर्शों, लक्ष्यों, अनुशासन, सद्भाव तथा विनयशील समाज की स्थापना एवं उसके अनुरक्षण हेतु महाविद्यालय के सूत्र वाक्य **''विद्या ददाति विनयम्''** को फलीभूत कर सकूँ तथा अपने उत्तरदायित्व का सफल निर्वहन कर सकूँ, इसके लिए सभी छात्र-छात्राओं, उनके अभिभावको, शिक्षकों शिक्षणेत्तर कर्मचारियों से सहयोग की अपेक्षा है जिससे आपका महाविद्यालय पुष्पित पल्लवित हो सके और ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो सके।

प्रो. (डा.) अरविन्द कुमार सिंह

महाविद्यालय
स्थापना का संक्षिप्त इतिहास

शोहरतगढ़ स्टेट के राजा शिवपति सिंह जी के द्वारा शिवपति एजुकेशनल ट्रस्ट की स्थापना की गयी। शिवपति एजुकेशनल ट्रस्ट ने उच्च शिक्षा की महत्ता के दृष्टिगत शिवपति महाविद्यालय की नींव सन् 1964 में रखी। स्थापना वर्ष में यह महाविद्यालय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से सम्बद्ध रहा। वर्ष 2015 से इस महाविद्यालय की सम्बद्धता सिद्धार्थ विश्व विद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर से है। उच्च शिक्षा के उच्चतम् मानकों की अवधारणा, समाज तथा देश को अनुशासित, कर्तव्यनिष्ठ एवम् ईमानदार नागरिक देना ही इस महाविद्यालय का संकल्प है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1960 की धारा 2 (एफ) एवम् 12 (बी) के अन्तर्गत इस महाविद्यालय को मान्यता प्राप्त हुई तो इसके पावन और पवित्र उद्देश्यों को मानो पंख लग गये । इस महाविद्यालय की स्थापना का मूल उद्देश्य शिक्षा के साथ उच्च विचार, आदर्शों तथा सिद्धान्तों एवम् मानवीय मूल्यों के परिमार्जन, परिवर्धन से सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीयता तथा भावना को सृदृढ़ करने के लिए की गयी थी।

शिवपति महाविद्यालय अपने स्थापना काल से ही श्री विश्वनाथ सिंह जैसे कुशल शिल्पी की कल्पनाओं में गढ़ी गई । महाविद्यालय अपने स्थापना काल से ही उच्च आदर्शों, सद्‌भावना, अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा के लिए दूसरे महाविद्यालयों के लिए एक आदर्श रहा है। श्री विश्वनाथ सिंह को इस महाविद्यालय का प्रथम प्राचार्य होने का गौरव प्राप्त हुआ ।

महाविद्यालय के स्थापना वर्ष (1964) में ही अंग्रेजी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, एवम् भूगोल, की मान्यता तत्कालीन गोरखपुर विश्वविद्यालय से मिली, तदुपरान्त अगले वर्ष ही हिन्दी, प्राचीन इतिहास एवम् राजनीति शास्त्र की मान्यता प्राप्त हुई।

अपने स्थापना काल से ही कला संकाय के आठ विषय महाविद्यालय में है तथा विज्ञान वर्ग में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवम् गणित की कक्षाओं की मान्यता वर्ष 1967 सें एवम् प्राणी विज्ञान व वनस्पति विज्ञान की मान्यता वर्ष 1971 में मिली । अपनी गुणवत्ता परक अध्ययन-अध्यापन के कारण महाविद्यालय, विज्ञान संकाय में, विश्वविद्यालय स्तरीय शैक्षिक गुणवत्ता के कारण ख्याति प्राप्त करता रहा है।

शैक्षिक उन्नयन के क्रम में महाविद्यालय में शिक्षा-स्नातक (बी.एड.) की कक्षा की मान्यता **NCTE** से इसको वर्ष 1985 में मान्यता प्राप्त हुआ।

अपनी शैक्षिक विकास यात्रा में महाविद्यालय में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के क्रम में वर्ष 2002 में प्राचीन इतिहास एवम् हिन्दी की स्नातकोत्तर कक्षाओं के संचालन की मान्यता मिली तथा वर्ष 2021 में गृहविज्ञान एवं शिक्षाशास्त्र विषय की स्नातक कक्षाओं एवं वर्ष 2022 में एम.ए. भूगोल की मान्यता प्राप्त हुई।

महत्वपूर्ण सामान्य सूचना

1. विवरणिका के समस्त बिन्दुओं को पूर्णरूपेण भली भाँति पढ़ें। निर्देशों से सहमति होने पर ही प्रवेश हेतु आवेदन करें।
2. प्राचार्य/नियन्ता द्वारा निर्देशित सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य है।
3. किसी भी अभ्यर्थी का प्रवेश करने व निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार प्राचार्य के पास सुरक्षित है। प्राचार्य किसी भी छात्र/छात्रा का नाम महाविद्यालय के हित में बिना कारण बताये किसी समय काट सकते हैं।
4. महाविद्यालय परिसर में संस्थागत छात्र/छात्राओं के अतिरिक्त असम्बद्ध या बाह्य व्यक्तियों का प्रवेश निषिद्ध है। इसका उल्लंघन करने वाले के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है और उसे पुलिस को सौंपा जा सकता है। किसी भी बाह्य या असम्बद्ध व्यक्ति को लाने वाले उत्तरदायी संस्थागत छात्र/छात्रा के प्रति अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
5. महाविद्यालय के सभी संस्थागत छात्र/छात्रा किसी भी दशा में अपना प्रवेश अनुमति पत्र, शुल्क रसीद, परिचय-पत्र एवं पुस्तकालय-कार्ड अन्य किसी को न दें, अन्यथा उसके गलत प्रयोग से सम्बन्धित छात्र/छात्रा का अहित सम्भव है। महाविद्यालय प्रशासन इस दोषपूर्ण आचरण के लिए उसे दण्डित कर सकता है।
6. महाविद्यालय परिसर में, प्रवेश के समय गणेवश व परिचय-पत्र होना अनिवार्य है।
7. पूरे महाविद्यालय परिसर में किसी भी स्थान पर पान, गुटका, तम्बाकू खाना थूकना तथा धूम्रपान करना दण्डनीय अपराध माना जायेगा।
8. विवरणिका में वर्णित नियमावली में परिवर्तन तथा उसका प्रवर्तन प्राचार्य के पास सुरक्षित है।
9. विवरणिका के किसी अंश को किसी समय आवश्यकता पड़ने पर सूचना पट्ट पर प्रकाशित करके परिवर्तित किया जा सकता है।
10. जिन छात्रों के पास परिचय-पत्र नहीं होगा उन्हें बाहरी अवांछित तत्व समझा जाएगा जो कि भा.द.सं. की धारा 151 के अन्तर्गत दण्ड के भागी होंगे।
11. किसी भी अन्य छात्र या व्यक्ति को किसी भी छात्र/छात्रा का अंक-पत्र, कोई अभिलेख आदि देय नहीं होगा।
12. शासन द्वारा निर्देशित प्रवेश सम्बन्धी आरक्षण के नियमों का पालन किया जायेगा।
13. महाविद्यालय के प्रत्येक छात्र/छात्रा को बिना गणवेश धारण किये महाविद्यालय परिसर में आना पूर्णतया निषेध है।

प्रवेश सम्बन्धी सामान्य सूचना

1. महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आने वाले सभी अभ्यर्थियों का यह प्रमुख उत्तरदायित्व है कि वे इस विवरणिका को सतर्कतापूर्वक पढ़कर सभी नियमों से अवगत हों। प्रवेश के पश्चात विद्यार्थियों को इस विवरणिका में उल्लिखित नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

2. प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र एवं विवरणिका महाविद्यालय कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। प्रवेश आवेदन-पत्र अभ्यर्थी के नाम से दिया जाता है। दूसरे व्यक्ति से क्रय किया गया आवेदन-पत्र मान्य नहीं होगा।

3. इण्टरमीडिएट के उत्तीर्ण छात्र/छात्रा जो बी.ए./बी.एस.सी. भाग एक (प्रथम सेमेस्टर) में प्रवेश चाहते हैं, वे आवेदन कर सकते हैं।

4. बी.ए./बी.एस-सी. भाग एक प्रथम सेमेस्टर में जो छात्र/छात्रा वर्ष 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 एवं 2026 की इण्टरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण हुये हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं।

5. योग्यता प्रदायी परीक्षा के उपरान्त एक वर्ष के अन्तराल पर 5 अंक, दो वर्ष एवं उसके पश्चात के अन्तराल पर 8 अंक काटकर ही आवेदन-पत्र पर विचार किया जायेगा।

6. आरक्षण के नियमों का नियमानुसार पालन किया जायेगा।

7. **समस्त छात्र-छात्राओं का आधार कार्ड का विवरण एवम् हाईस्कूल का विवरण एक समान होना चाहिये दोनों में किसी भी प्रकार का भिन्नता पाये जाने पर प्रवेश सम्भव नहीं होगा।**

8. **अभ्यर्थी के यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रवेश फार्म में उपलब्ध कराये गये स्वयं के मोबाइल नं., एवं ईमेल आई.डी. चालू रहे अन्यथा की स्थिति में सूचना सम्प्रेषण के अभाव में सूचना न मिलने की समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।**

SURN पंजीकरण की प्रक्रिया

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर एवं समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों में प्रवेश लेने के लिए अभ्यर्थियों / छात्र-छात्राओं को किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश से पूर्व नीचे दी गई प्रक्रिया के अनुसार अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है। समर्थ पोर्टल पर प्रोफाइल पंजीकरण शुल्क रू0 100/- (रूपया सौ मात्र) निर्धारित है।

पंजीकरण की प्रक्रियाः

1. सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर की प्रवेश संबंधी अधिकारिक वेबसाइट www.suksn.edu.in पर जाए।
2. वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक "Click here for Siddharth University, Kapilvastu, Siddharth Nagar Registration Number" पर क्लिक करें।
3. ओपन हुए पेज के दाहिनी ओर स्थित New Registration पर क्लिक करके अपना लॉगिन आई०डी० बनाएं।
4. पंजीकरण ई-मेल आईडी के माध्यम से किया जाएगा, और एक ई-मेल आईडी से केवल एक ही पंजीकरण किया जा सकता है, जिसे बाद में बदला नहीं जा सकेगा। इसलिए मान्य (सही और सक्रिय) ई-मेल आईडी का ही उपयोग करे, क्योंकि ओटीपी (OTP) उसी ई-मेल पर भेजा जाएगा।
5. बनाए गए लॉगिन आईडी (Login Id) एवं पासवर्ड को नोट करके सुरक्षित रखें।
6. लॉगिन आईडी (Login Id) बनाने के बाद, उसी पेज पर दाहिनी ओर लॉगिन पर क्लिक करें और अपना पूर्व विवरण (नाम, पिता का नाम, माता का नाम, ई-मेल आदि) भरकर अपनी प्रोफाइल को पूर्ण करें।
7. प्रोफाइल पूर्ण करने के बाद रू0 100/- का भुगतान वेबसाइट पर दिए गये Payment Gateway के माध्यम से करें।
8. यदि खाते से धनराशि कट जाए लेकिन भुगतान सफल (Successful) न हो तो, 48 घंटे तक दुबारा भुगतान न करें।
9. भुगतान सफल होते ही आपका SURN नंबर जनरेट हो जाएगा, जिसे नोट करके सुरक्षित रखें।
10. आप अपने पंजीकरण का प्रिंट (Print Form) क्लिक करके कभी भी प्राप्त कर सकते है।
11. यदि कोई अभ्यर्थी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, तो उसे पहले पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण के बाद उसे एक SURN नंबर प्राप्त होगा, जिसे महाविद्यालय में प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश मिलेगा।

बी.एस.सी./बी.ए. प्रथम वर्ष (प्रथम सेमेस्टर) में प्रवेश संबंधी आवश्यक विवरण

महाविद्यालय में नयी शिक्षा नीति 2020 के तहत सी.बी.सी.एस. (Choice Based Credit System) सेमेस्टर प्रणाली लागू है। बी.ए./बी.एस.सी. प्रथम वर्ष (प्रथम सेमेस्टर) में प्रवेश पाने के इच्छुक छात्र/छात्रा को अपने संकाय से दो मुख्य विषय का चुनाव करना होगा तथा एक माइनर विषय जो किसी भी संकाय से हो उसका चुनाव करना होगा। छात्र/छात्राओं को एक Co-Curricular (पाठ्य सहगामी विषय) अनिवार्य रूप से लिया जाना है। इसके पश्चात् छात्र/छात्रा द्वारा एक कौशल विकास विषय। (महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम के कोर्स में किसी एक विषय) का भी चुनाव करना होगा। छात्र-छात्रा द्वारा कुल मिलाकर (4+1 अनिवार्य) विषय का चुनाव किया जाना है।

1. महाविद्यालय कार्यालय से आवेदन पत्र 1 मई 2026 से प्रातः 10.30 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक के बीच प्राप्त किए जा सकते हैं।
3. बी.ए. एवं बी.एस-सी. प्रथम वर्ष (प्रथम सेमेस्टर) में प्रवेश हेतु वे अभ्यर्थी ही आवेदन करें जिन्होंने वर्ष 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 एवं 2026 की इण्टर परीक्षा उत्तीर्ण की हो किन्तु 2021, 2022, 2023, 2024 व 2025 में इण्टर उत्तीर्ण प्रार्थी को प्रवेश हेतु शपथ-पत्र (एफीडेविट) देना होगा कि सन् 2021, 2022, 2023, 2024 व 2025 में उसने कहीं प्रवेश नहीं लिया था। इण्टर परीक्षा का मूल अंक-पत्र ही मान्य होगा, प्रतिबंधित अथवा अस्थाई मार्कशीट नहीं। सामान्य/पिछड़े श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए यह भी आवश्यक है कि इण्टर परीक्षा में उसका कुल प्राप्तांक 40 प्रतिशत से कम न हो।
4. अधूरे व अस्पष्ट आवेदन-पत्रों पर कोई विचार नहीं होगा। आवेदन-पत्र के साथ हाईस्कूल एवं इण्टर के अंक पत्रों, हाईस्कूल प्रमाण-पत्र, पूर्व संस्था द्वारा प्रदत्त आचरण प्रमाण-पत्र, अनुसूचित जाति/जनजाति/ पिछड़ी जाति आधार प्रमाण पत्र की छाया प्रति का एवं अन्य वेटेज या अधिभार प्राप्त आवश्यक साक्ष्य पत्रों की स्व-सत्यापित दो छाया प्रतियाँ संलग्न करना आवश्यक हैं।
5. पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति के छात्र/छात्राओं द्वारा जाति प्रमाण-पत्र लगाये जाने पर ही आरक्षण का लाभ एवं शुल्क का लाभ प्राप्त होगा।
6. बी.ए. प्रथम वर्ष या बी.एस-सी. प्रथम वर्ष में से किसी एक कक्षा के लिए किया गया आवेदन और पात्रता की स्थिति किसी दूसरे कक्षा में प्रवेश के लिए मान्य नहीं होगी।
7. प्राचार्य बिना कारण बताये आवेदक का प्रवेश अस्वीकृत करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखते हैं। कोई भी आवेदक अपने अधिकार के रूप में प्रवेश की मांग नहीं कर सकता है चाहे वह प्रवेश के लिये हर प्रकार के योग्य क्यों न हो।
8. प्रवेशार्थियों को सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर द्वारा निर्धारित छात्र संख्या सीमा (उपलब्ध सीटों) के अन्दर ही प्रवेश दिया जा सकेगा।
9. बी.ए. प्रथम वर्ष एवं बी.एस-सी. प्रथम वर्ष (गणित व जीवविज्ञान) (प्रथम सेमेस्टर) में प्रवेश योग्यता सूची से योग्यता के क्रम में होगा।
10. प्रवेश हेतु साक्षात्कार होगा जिसमें प्रत्येक अभ्यर्थी की उपस्थिति अनिवार्य है।

11. किसी एक संकाय में प्रवेश लेने के पश्चात् दूसरे संकाय में स्थानान्तरण नहीं होगा।

12. छात्र/छात्रायें निर्धारित तिथि और समय पर (जिसकी सूचना महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर दी जाएगी) मेरिट क्रम के अनुसार साक्षात्कार हेतु उपस्थित हों, और अपने साथ निम्न प्रपत्र व शुल्क अवश्य लाएं अन्यथा उनके प्रवेश पर विचार नहीं होगा।

(i) हाईस्कूल व इण्टर परीक्षाओं के मूल अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र।

(ii) अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति/विकलांग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इत्यादि के आधार पर मांगे गये अधिभार या वेटेज के लिए आवश्यक मूल प्रमाण पत्र और उसकी एक फोटो प्रति। छात्रवृति प्राप्त करने हेतु आय-प्रमाण पत्र प्रवेश के समय ही जमा करना आवश्यक है। अनु. जाति/अनु. जनजाति/OBC के छात्र/छात्राओं को नवीनतम आय प्रमाण पत्र (तीन वर्ष के अवधि का) की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है एवं साक्षात्कार के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना है।

(iii) आधार कार्ड मूल रूप में।

(iv) स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (टी.सी.) की मूल प्रति।

(v) यू.पी. बोर्ड के अतिरिक्त अन्य किसी बोर्ड या विश्वविद्यालय से इण्टर की समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने की स्थिति में प्रवजनन प्रमाण-पत्र।

(vii)अन्तिम शिक्षण संस्था के प्रधानाचार्य से चरित्र प्रमाण पत्र (मूल प्रति में) ।

(viii) आवश्यक निर्धारित शुल्क।

13. साक्षात्कार के बाद अर्ह अभ्यर्थी के प्रवेश सम्बन्धी सारी प्रक्रिया उसी दिन पूरी की जायेगी। प्रवेश की प्रक्रिया तभी पूर्ण होगी जब प्रवेशार्थी ने निम्न कार्य कर लिये हों -

(i) शुल्क जमा कर दिया हो।

(ii) परिचय-पत्र पूर्ण रूपेण भरकर नियन्ता कार्यालय में जमा कर दिया हो।

(iii) कार्यालय में शुल्क रसीद की एक प्रति जमा कर लेजर सं. प्राप्त कर लिया हो।

14. प्रवेश की पुष्टि के बाद भी किसी समय पता चलने पर कि प्रार्थी ने कोई असत्य विवरण दिया था, तो उसका प्रवेश निरस्त करते हुए उसे विद्यालय से निष्काषित कर दिया जायेगा।

15. प्रथमतः महाविद्यालय में कोई भी प्रवेश औपबंधिक (Provisional) होगा, जो प्रवेश की तिथि से परीक्षा होने के पूर्व कभी भी निरस्त किया जा सकेगा। कोई भी संस्थागत छात्र-छात्रा सम्बन्धित सत्र में उसकी परीक्षा समाप्त होने तक ही बोनाफाइड विद्यार्थी माना जायेगा।

16. छात्र/छात्रा की कक्षाओं में 75 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक होगी अन्यथा की स्थिति में परीक्षा से वंचित किया जा सकता है।

17. मुख्य परीक्षा से पूर्व प्रत्येक छात्र/छात्रा को आन्तरिक परीक्षा में उपस्थित एवं एसाइनमेन्ट जमा करना अनिवार्य है।

18. प्रवेश सुनिश्चित होने के उपरान्त सभी छात्र/छात्राओं को ABC ID/APAAR ID बनाना आवश्यक होगा जिसकी प्रति अविलम्ब महाविद्यालय कार्यालय में जमा करना होगा।

19. सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर एवं समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु SURN पंजीकरण अनिवार्य है। अतः सभी अभ्यर्थी कृपया इस प्रक्रिया का विशेष ध्यान रखें।

चेक लिस्ट

(बी.ए. एवं बी.एस.सी. प्रथम वर्ष (प्रथम सेमेस्टर) के छात्र/छात्राओं के फार्म भरने के लिए)

फार्म के साथ संलग्न किए जाने वाले स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति इस क्रम में लगाएँ -

1. आवेदन पत्र
2. नियन्ता फार्म
3. हाईस्कूल - अंकपत्र / सर्टिफिकेट
4. इण्टरमीडिएट - अंकपत्र / सर्टिफिकेट
5. आधार कार्ड
6. शपथ पत्र (यदि सत्र में गैप है) मूल रूप में
7. जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र (एससी./एसटी./ओ.बी.सी./ई.डब्लू.एस.) छात्र हेतु)
8. ABC ID कार्ड,
9. SURN पंजीकरण फार्म
10. मित्र राष्ट्र नेपाल के छात्र/छात्राओं के नागरिकता प्रमाण पत्र की छाया प्रति।

चेक लिस्ट

(साक्षात्कार के समय)

साक्षात्कार के समय आवश्यक मूल प्रपत्र अवश्य लाएँ

1. हाईस्कूल - अंकपत्र / सर्टिफिकेट - मूल प्रति
2. इण्टरमीडिएट - अंकपत्र / सर्टिफिकेट - मूल प्रति
3. आधार - मूल प्रति
4. स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (TC)/प्रवजन प्रमाण पत्र (माइग्रेशन) - मूल प्रति
5. चरित्र प्रमाण पत्र - मूल प्रति
6. जाति प्रमाण पत्र / आय प्रमाण पत्र / निवास प्रमाण पत्र - मूल प्रति
7. अधिभार हेतु आवश्यक मूल प्रमाण पत्र ।
8. निर्धारित शुल्क ।
9. ABC ID कार्ड
10. SURN पंजीकरण फार्म
10. मित्र राष्ट्र नेपाल के छात्र/छात्राओं का नागरिकता प्रमाण-पत्र मूल रूप में ।

आन लाइन विश्वविद्यालय परीक्षा फार्म भरा जाना

प्रत्येक छात्र/छात्रा का विश्वविद्यालयीय परीक्षा फार्म आन लाइन द्वारा भरा जाना है। परीक्षा फार्म भरे जाने से पूर्व सभी छात्र/छात्राओं की ABC ID/APAAR ID बनाना आवश्यक होगा। इस हेतु विश्वविद्यालय द्वारा एक निश्चित अवधि प्रदान किया जाता है। प्रदान की गयी अवधि के पश्चात किसी भी छात्र/छात्रा का परीक्षा फार्म आनलाइन नहीं किया जा सकता है और न ही किसी त्रुटि का संशोधन ही किया जा सकता है। अतः समस्त छात्र/छात्रा को महाविद्यालय में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित रखनी होगी जिससे कि विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा फार्म भरे जाने की तिथि प्राप्त होते ही उनसे सम्बन्धित मांगी जाने वाली सूचनाएं प्राप्त हो सके। जिन छात्र/छात्राओं द्वारा परीक्षा फार्म आनलाइन किये जाने की निर्धारित अवधि में अपने से सम्बन्धित सूचनाएं उपलब्ध नहीं करायी जा सकेंगी उनके परीक्षा फार्म न भरे जाने एवं परीक्षा फार्म के प्रिन्ट आउट पर अंकित अपने से सम्बन्धित समस्त सूचनाओं का सूक्ष्म निरीक्षण कर यदि कोई त्रुटी हो, जैसे नाम, विषय, जन्मतिथि आदि का संशोधन करा कर हस्ताक्षर नहीं कर दिया जाता है (परीक्षा फार्म पर सभी छात्र/छात्रा का हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से होना है) तो महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा बल्कि समस्त जिम्मेदारी छात्र/छात्रा एवं अभिभावक की होगी।

प्रवेश हेतु देय अधिभार या वेटेज

1. एन.सी.सी. में बी सर्टिफिकेट अथवा सी सर्टिफिकेट प्राप्त अभ्यर्थी को 2 प्रतिशत या 10 अंक।
2. शासन द्वारा निर्धारित परिभाषा के अन्तर्गत विकलांगों के लिए 2 प्रतिशत या 10 अंक।
3. महाविद्यालय के कर्मचारियों के आश्रितों के लिए 2 प्रतिशत या 10 अंक।
4. स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों एवं कारगिल तथा अन्य युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों के लिए नियमानुसार स्थान आरक्षित है।
5. EWS को नियमानुसार अधिभार दिया जायेगा।

विशेष :

किसी अभ्यर्थी को किन्ही दो छूटों के आधार पर 4 प्रतिशत से अधिक का वेटेज या अधिभार देय नहीं होगा, किन्तु यह प्रतिबन्ध क्रम संख्या 3 में वर्णित के सम्बन्ध में लागू नहीं होगा। अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ी जाति के लिए शासन एवं विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार प्रवेश में आरक्षण देय होगा।

पाठ्य-विषय

यह महाविद्यालय सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर की सम्बद्धता में निम्नलिखित परीक्षाएं आयोजित करता है और उपाधियाँ विद्यार्थियों को प्रदान करता है :

(क) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में भूगोल, हिन्दी तथा प्राचीन इतिहास विषयों में।

(ख) बी.ए. का त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम जिसके लिए निम्नलिखित विषयों में से किन्ही दो मुख्य विषयों का बी.ए. प्रथम वर्ष में निर्धारित सीट के अनुसार प्रवेश दिया जायेगा।

(1) हिन्दी	(2) समाजशास्त्र	(3) भूगोल/संस्कृत
(4) अंग्रेजी/अर्थशास्त्र	(5) प्राचीन इतिहास	(6) राजनीतिशास्त्र
(7) शिक्षाशास्त्र	(8) गृह विज्ञान	

नोट :
1. प्रत्येक प्रवेशार्थी को महाविद्यालय में पढ़ाये जाने वाले उपरोक्त विषयों में किन्हीं दो मेजर विषयों का चयन करना होगा।
2. प्रत्येक प्रवेशार्थी को माइनर विषय का भी चयन करना होगा।
3. प्रत्येक प्रवेशार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर में एक को-कैरिकुलम (पाठ्य सहगामी) विषय अनिवार्य रूप से लिया जाना है।
4. प्रत्येक प्रवेशार्थी को एक कौशल विकास विषय (महाविद्यालय में संचालित) का चयन करना अनिवार्य है।
5. एक बार प्रवेश हो जाने पर विषय परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

(ग) बी.एस-सी. पाठ्यक्रम जिसके लिये बी.एस-सी. प्रथम वर्ष में निम्नलिखित में एक वर्ग अन्तर्गत दिये गये विषयों में से दो मुख्य विषय का चयन किया जायगा :-

1. **गणित वर्ग** : भौतिक विज्ञान, गणित और रसायन विज्ञान

अथवा

2. **जीव विज्ञान वर्ग :** प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन विज्ञान

नोट : 1. बी.एस-सी. प्रथम वर्ष के प्रवेशार्थी वर्ग के अनुसार गणित वर्ग (गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान विषय समूह) या बायोग्रुप (प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, विषय समूह) में से दो मुख्य विषय का चयन करेंगे। जो उनके मेजर विषय होंगे।

2. प्रत्येक प्रवेशार्थी को एक माइनर विषय का चयन भी करना होगा।

3. प्रत्येक प्रवेशार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर में एक को-कैरिकुलम (पाठ्य सहगामी) विषय अनिवार्य रूप से लिया जाना है।

4. प्रत्येक प्रवेशार्थी को एक कौशल विकास विषय (महाविद्यालय में संचालित) का चयन करना अनिवार्य है।

5. एक बार प्रवेश हो जाने पर विषय परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

महाविद्यालय में संचालित कौशल विकास विषय :- योगा, ब्यूटिशियन, कम्प्यूटर स्किल, टूरिज्म एण्ड हास्पिलिटी।

शिक्षक शिक्षा विभाग-बी.एड. -

बी.एड. ग्रुप में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा संचालित प्रवेश परीक्षा द्वारा संस्तुत सूची के अनुसार किया जाता है। बी.एड. में प्रवेश लेने वाले सभी अभ्यर्थियों द्वारा एफिडेविट (शपथ पत्र) इस आशय का देना आवश्यक है कि इस सत्र में वे किसी दूसरी जगह शिक्षा नहीं प्राप्त कर रहे है एवं न ही कहीं कार्यरत है तथा अपनी सैद्धान्तिक कक्षा में उपस्थिति 80% एवं प्रयोगात्मक में 100% सुनिश्चित करेंगे। यदि ऐसा पाया नहीं जायेगा तो उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी तथा प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा एवं परीक्षा से रोका जा सकता है।

शोध (Ph.D.)– NET/RET उत्तीर्ण छात्रों के लिए शोध अध्यादेश के प्राविधानों के अन्तर्गत शोध में प्रवेश की सुविधा उपलब्ध है।

(ख) स्व वित्त पोषित योजना अन्तर्गत स्नातकोत्तर पाठ्यकम

1. हिन्दी 60 सीट 2. प्राचीन इतिहास 60 सीट 3. भूगोल 40 सीट

स्व वित्तपोषित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत स्नातकोत्तर कक्षा का प्रवेश शुल्क रू. 5000.00 है।

प्रत्येक प्रयोगात्मक विषय में प्रयोगात्मक शुल्क 240 रू. देय होगा।

विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क छात्र/छात्रा को अलग से जमा करना होगा।

विशेष :

1. स्नातक में उत्तीर्ण का ही स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश होगा।
2. स्नातक स्तर पर 40% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होगें। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों पर यह नियम लागू नहीं होगा।
3. यदि कोई अभ्यर्थी अलग विषय (स्नातक अन्तिम वर्ष के विषय के अतिरिक्त) में स्नातकोत्तर करना चाहता है तो उसका स्नातक परीक्षा में कुल योग 50% न्यूनतम होना चाहिए।

प्रवेश के समय देय निर्धारित शुल्क :

शासन/सिद्धार्थ विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर निर्धारित शुल्क देय होगा। शासन/विश्वविद्यालय द्वारा सत्र की अवधि में यदि शुल्क में बढ़ोत्तरी की जाती है तो छात्र/छात्राओं को देय होगा।

नामांकन -

एम.ए. एवं बी.एड. के उन सभी छात्र/छात्राओं को जिन्होंने स्नातक परीक्षा किसी अन्य विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण किया है, प्रवजन प्रमाण-पत्र जमा करना होगा।

बी.ए./बी.एस-सी./एम.ए. द्वितीय वर्ष- तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश -

बी.ए./बी.एस-सी., एम.ए. तृतीय सेमेस्टर में भी प्रवेश समर्थ पोर्टल के माध्यम से ही किया जाना है। छात्र/छात्रा प्रथम वर्ष (प्रथम/द्वितीय सेमेस्टर) के मुख्य दो विषय, एक माइनर, कौशल विकास तथा को-कैरिकुलम विषय का चयन करेंगे। तृतीय सेमेस्टर में उन्हीं छात्र-छात्रा का प्रवेश होगा, जिन्होंने इस महाविद्यालय से बी.ए./बी.एस-सी. प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की परीक्षा संस्थागत/रिअपेयर छात्र के रूप में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित क्रेडिट को प्राप्त किया हो तथा अध्ययन काल में जिनका आचरण एवं व्यवहार अच्छा रहा है। विगत कक्षा में यदि छात्र/छात्रा ने कक्षाओं के संचालन में बाधा, अनुशासनहीनता, U.F.M. एवं अभद्रता की है तो उसका प्रवेश नहीं होगा। पिछली कक्षा के अंक पत्र जारी होने की तिथि से दस दिन के अन्दर ही उन्हें प्रवेश लेना अनिवार्य है। छात्र/छात्रायें प्रवेश हेतु निम्न प्रपत्र व शुल्क लेकर आयें -

(i) बी.ए./बी.एस-सी. के मूल अंक पत्र और उनकी दो-दो छायाप्रतियाँ। (स्वहस्ताक्षरित)

(ii) तीन अभिन्न पासपोर्ट साइज नवीनतम फोटोग्राफ (स्वहस्ताक्षरित एवं यूनिफार्म में)

(iii) निर्धारित शुल्क (शुल्क जमा करने के बाद उसी दिन छात्र/छात्रा कार्यालय में शुल्क रसीद की एक प्रति जमा कर लेजर सं. प्राप्त करेंगे एवं नया परिचय-पत्र और पुस्तकालय कार्ड बनवायेंगे।)

(iv) आधार कार्ड की छायाप्रति (स्वहस्ताक्षरित)

(v) ABC ID

आलोक- समर्थ पोर्टल के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न होते समय यदि पोर्टल पर किसी प्रक्रिया में बदलाव किया जाता है तो उक्त सूचना के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न होगी।

बी.ए./बी.एस-सी. तृतीय वर्ष- पंचम सेमेस्टर में प्रवेश -

बी.ए./बी.एस-सी. तृतीय वर्ष (पंचम एवं षष्ट सेमेटर) में विद्यार्थी को अपने विगत तीन विषयों में से केवल दो विषयों का ही चयन करना होगा। बी.ए./बी.एस-सी.तृतीय वर्ष में केवल उन्हीं छात्र/छात्राओं का प्रवेश होगा, जिन्होंने इस महाविद्यालय से बी.ए./बी.एस-सी. प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की परीक्षा संस्थागत/रिअपेयर छात्र के रूप में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित क्रेडिट को प्राप्त किया हो तथा अध्ययन काल में जिनका आचरण एवं व्यवहार अच्छा रहा है। विगत कक्षा में यदि छात्र/छात्रा ने कक्षाओं के संचालन में बाधा, अनुशासनहीनता, U.F.M. एवं अभद्रता की है तो उसका प्रवेश नहीं होगा। पिछली कक्षा के अंक पत्र जारी होने की तिथि से दस दिन के अन्दर ही उन्हें प्रवेश लेना अनिवार्य है। छात्र/छात्रायें प्रवेश हेतु निम्न प्रपत्र व शुल्क लेकर आयें -

(i) बी.ए./बी.एस-सी. के मूल अंक पत्र और उनकी दो-दो छायाप्रतियाँ। (स्वहस्ताक्षरित)

(ii) तीन अभिन्न पासपोर्ट साइज नवीनतम फोटोग्राफ (स्वहस्ताक्षरित एवं यूनिफार्म में)

(iii) निर्धारित शुल्क (शुल्क जमा करने के बाद उसी दिन छात्र/छात्रा कार्यालय में शुल्क रसीद की एक प्रति जमा कर लेजर सं. प्राप्त करेंगे एवं नया परिचय-पत्र और पुस्तकालय कार्ड बनवायेंगे।)

(iv) आधार कार्ड की छायाप्रति (स्वहस्ताक्षरित)

(v) ABC ID

स्थानान्तरण प्रमाण पत्र -

पूर्व विद्यालय से प्राप्त स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (टी.सी.) की मूल प्रति अथवा उत्तर प्रदेश बोर्ड के अतिरिक्त अन्य बोर्ड या विश्वविद्यालय से आने वाले विद्यार्थियों को माइग्रेशन प्रमाण-पत्र प्रवेश के समय महाविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा जिसके अभाव में प्रवेश सम्भव नहीं होगा।

शुल्क अदायगी -

प्रवेश हेतु चयन हो जाने पर कार्यालय से शुल्क जमा करने हेतु बैंक का बाउचर मिलेगा जिसे प्रवेशित छात्र/छात्रा स्वयं महाविद्यालय परिसर में स्थित पंजाब नेशनल बैंक में जमा करेंगे। शुल्क जमा करने के बाद कार्यालय से शुल्क रसीद पर अपना लेजर संख्या अंकित कराके परिचय-पत्र प्राप्त कर लें। शुल्क जमा करने की रसीद छात्र/छात्रा को सावधानी के साथ रखना चाहिये। समय-समय पर शुल्क रसीद की आवश्यकता पड़ती रहती है। सिद्धार्थ वि0वि0 द्वारा विश्वविद्यालयीय परीक्षा, नामांकन शुल्क तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा किसी भी तरह के शुल्क में यदि वृद्धि की जाती है तो वह भी छात्र/छात्रा को देय होगा।

परिचय पत्र -

1. महाविद्यालय के प्रत्येक छात्र/छात्रा के पास वैध परिचय-पत्र होना अनिवार्य है।
2. बी.ए./बी.एस-सी. प्रथम वर्ष के सभी छात्र/छात्राओं को प्रवेश की तिथि पर ही जमा शुल्क रसीद दिखाकर अपना परिचय पत्र बनवा लेना चाहिए।
3. पुराने छात्र/छात्राओं को प्रवेश की तिथि पर ही नया परिचय पत्र बनवा लेना होगा और पुराना परिचय पत्र स्वतः निरस्त हो जायेगा।
4. प्रत्येक परिवर्तित पते की सूचना तत्काल नियन्ता कार्यालय में दी जानी चाहिए। मोबाइल नं. हो तो अवश्य सूचित करें।
5. वैध परिचय-पत्र एवं यूनिफार्म के बिना महाविद्यालय प्रांगण में प्रवेश वर्जित है। प्रत्येक छात्र/छात्रा को सदैव अपना परिचय पत्र साथ लाना होगा, जिसकी मांग या जांच (चेकिंग) किसी भी समय की जा सकती है।
6. परिचय पत्र खो जाने की स्थिति में नियन्ता कार्यालय में अर्थदण्ड जमा करने पर दूसरा परिचय पत्र बन सकेगा किन्तु दूसरे परिचय पत्र के भी खो जाने की स्थिति में एफिडेविट देने और निर्धारित अर्थदण्ड दण्ड शुल्क जमा करने पर ही नया परिचय पत्र बन सकेगा।
7. परिचय-पत्र न होने पर छात्र/छात्रा को महाविद्यालय से कोई प्रमाण-पत्र या सुविधा नहीं प्राप्त हो सकेगा।

8. सम्बन्धित छात्र/छात्रा के अतिरिक्त किसी दूसरे के हाथ में पाया गया परिचय-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।

9. केन्द्रीय ग्रन्थालय के पुस्तकों / समाचार पत्र व पत्र पत्रिकाओं को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाना दण्डनीय है। उल्लघंन करने पर पुस्तक का वर्तमान मूल्य तथा अर्थदण्ड देना होगा एवं अनुशासनता की कार्यवाही की जायेगी।

अनुशासन बनाये रखने हेतु महाविद्यालय के सभी प्राध्यापक अधिकृत है और उपुर्यक्त सभी धाराओं के अन्तर्गत किसी भी छात्र/छात्रा को निर्देश देकर दण्ड दे सकते हैं।

नियन्ता समिति एवं अनुशासन व्यवस्था -

1. महाविद्यालय में प्रत्येक छात्र/छात्रा की गतिविधि पर निगरानी रखने एवं अनुशासन व्यवस्था बनाये रखने के लिये एक नियन्ता मण्डल (प्राक्टोरियल बोर्ड) गठित है।

2. नियन्ता मण्डल द्वारादी गई सूचनाओं, आदेशों और निर्देशों का पालन सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है।

3. महाविद्यालय के अनुशासनिक नियम निम्नलिखित हैं -

(क) महाविद्यालय में हिंसा के लिये कोई स्थान नहीं है, ऐसी कोई समस्या नहीं है जो शान्तिपूर्वक न सुलझायी जा सकें।

(ख) महाविद्यालय में किसी कर्मचारी एवं शिक्षक के साथ अभद्र व्यवहार दण्डनीय है जिसमें निष्कासन/ निस्सारण भी सम्भव हैं।

(ग) महाविद्यालय में अध्ययनरत सभी छात्र/छात्रा किसी अन्य छात्र/छात्रा के साथ अभद्र व्यवहार न करें।

(घ) जब कक्षायें चल रही हों, बरामदे में शान्ति बनाये रखें।

(ङ) छात्राओं के कामन रूप के पास छात्र न खड़े हो न ही उसमें प्रवेश करें।

(च) अपनी साइकिलें/मोटर साइकिलें निर्धारित स्टैण्ड पर लॉक कर रखें।

(छ) महाविद्यालय के भवन एवं सम्पत्ति को नुकसान न पहुंचाये। दीवारों और फर्नीचर को लिखकर गन्दा न करें। परिसर में पान, गुटका, तम्बाकू, सिगरेट या किसी अन्य मादक पदार्थ का प्रयोग निषिद्ध है। कक्ष में थूकने पर पकड़े जाने पर दण्डनीय कार्यवाही की जाएगी।

(ज) प्रत्येक संस्थागत छात्र/छात्रा अपने समय सारिणी के अनुसार ही महाविद्यालय आयें। अन्य समय या अकारण विद्यालय परिसर में प्रवेश और उपस्थिति को अनुशासनहीनता माना जायेगा।

(झ) किसी कार्य के लिए स्वयं सम्बन्धित अधिकारी अथवा कर्मचारी से मिले और किसी की सिफारिश या दबाव का प्रयोग न करें।

(ट) महाविद्यालय प्रांगण में किसी प्रकार का अस्त्र/शस्त्र लाना वर्जित एवं दण्डनीय अपराध है।

(ठ) महाविद्यालय की गरिमा के अनुकूल शिष्ट भाषा, उच्च आचरण और शालीन परिधान को ही अपनायें।

(ठ) छात्र/छात्राएं महाविद्यालय की गरिमा के संरक्षण के लिए अभिन्न उत्तरदायी अंग है। वे महाविद्यालय के अन्दर या बाहर ऐसा कोई कार्य न करें, जिससे उनका अथवा महाविद्यालय का नाम धूमिल हो।

(ड) स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। स्वच्छ रहें, स्वच्छ रखें व स्वच्छ रहने दें।

4. किसी छात्र/छात्रा द्वारा किये गये दुर्व्यवहार, अपराध या अनुशासनहीनता की प्रकृति के अनुरूप उसे निम्न प्रकार से दण्डित किया जायेगा -

   क- चेतावनी,
   ख - अर्थदण्ड
   ग - वित्तीय एवं अन्य सुविधाओं से वंचित किया जाना।
   घ - निलंबन (सस्पेंशन)
   ङ - चरित्र प्रमाण पत्र का न दिया जाना या निरस्तीकरण।
   च - निष्कासन (एक्सपल्शन)
   छ - निस्सारण (रस्टीकेशन)

5. शासन के निर्देशानुसार महाविद्यालय परिसर एवं छात्रावास में रैगिंग गम्भीर अपराध है, यदि कोई भी छात्र/छात्रा इसमें लिप्त पाया जाता है तो महाविद्यालय में गठित एन्टी रैगिंग कमेटी के सिफारिश के अनुसार उसके साथ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी एवं महाविद्यालय से निष्कासन/निस्सारण की कार्यवाही निष्पादित कर दी जायेगी।

6. महाविद्यालय परिसर में किसी छात्रा के साथ किसी भी प्रकार का उत्पीड़न संज्ञेय अपराध है इसमें लिप्त छात्र के विरूद्ध अपराधिक विधि के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

7. सुरक्षा व्यवस्था एवं अनुशासन बनाये रखने की मंशा से महाविद्यालय परिसर में सी0सी0टी0बी0 कैमरा लगाया गया है जिसके फुटेज पर भी उक्त में से कोई कार्यवाही की जा सकती है।

विशेष -

1. छात्राओं को प्रवेश के समय सुरक्षा की दृष्टिकोण से अपने अभिभावक का मोबाईल नं0 अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा। यदि किसी छात्र/छात्रा द्वारा प्रवेश फार्म में उपलब्ध कराया गया नं. बदले जाने की सूचना लिखित रूप से नहीं दिया जाता है तो ग्रुप में दिया गया सूचना न प्राप्त होने की स्थिति में छात्र/छात्रा स्वयं जिम्मेदार होंगे।

उपस्थिति -

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर, द्वारा निर्धारित उपस्थिति सम्बन्धी नियम के अनुसार ही छात्र/छात्रा को परीक्षा में बैठने की अनुमति तभी दी जायेगी, जब उसकी उपस्थिति सैद्धान्तिक में 75 प्रतिशत (बी.एड.80%) एवं प्रयोगात्मक में 100 प्रतिशत है। प्रत्येक छात्र/छात्रा का उत्तरदायित्व है कि वह समय-समय पर अपने उपस्थिति की जानकारी सम्बन्धित शिक्षक से प्राप्त करता रहें।

केन्द्रीय ग्रन्थालय - महाविद्यालय में एक केन्द्रीय ग्रन्थालय है। केन्द्रीय ग्रन्थालय पूर्णतया कम्प्यूटराइज्ड होने की दिशा में अग्रसर है। ग्रन्थालय में इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध हैं। केन्द्रीय ग्रन्थालय में लगभग 20 हजार पुस्तकों का संग्रह है। प्रत्येक विषय में पाठ्य एवं संदर्भ पुस्तकें उपलब्ध है, तथा समाचार पत्र, पत्रिकाओं, साहित्यिक एवं साइन्टिफिक जर्नल आदि की समुचित व्यवस्था है। पुस्तकालय सम्बन्धी विशेष विवरण पुस्तकालय कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। पुस्तकालय से किसी भी विद्यार्थी को संदर्भ पुस्तकें

निर्गत नहीं होगी। पुस्तकालय से पुस्तकें निर्धारित पुस्तकालय कार्ड पर निर्गत की जाती हैं। उसके खो जाने पर पुस्तकालय में अर्थदण्ड जमा करके दूसरा लाइब्रेरी कार्ड प्राप्त हो सकेगा। परन्तु ऐसे डुप्लिकेट कार्ड के खो जाने पर विद्यार्थी को अर्थदण्ड और एफीडेविट देने पर ही दूसरा कार्ड दिया जा सकेगा। किसी असंबद्ध व्यक्ति अथवा छात्र/छात्रा के हाथ में पाया गया पुस्तकालय कार्ड तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा। पुस्तकालय कार्ड बनवाते समय फीस की प्रथम रसीद साथ रखें।

साइकिल स्टैण्ड - विद्यार्थीगण अपनी साइकिल/मोटर साइकिल निर्धारित, साइकिल स्टैण्ड पर ही रखेंगे। साइकिल रखने की व्यवस्था अध्यापन कार्य आरम्भ होने की तिथि से ही की जायेगी। विद्यार्थियों को यह निर्देशित किया जाता है कि वे अपने साइकिलों में आवश्यक रूप से सुरक्षित एवं मजबूत ताले लगायें और उन्हें सावधानी से बन्द कर स्टैण्ड पर अपने साइकिल/मोटरसाइकिल को खड़ी करें।

छात्रावास सुविधा - महाविद्यालय के छात्रों की आवासीय व्यवस्था हेतु छात्रावास में सीमित स्थान है जो दूर से आये छात्रों के लिये ही उपलब्ध होगी। ग्रामीण क्षेत्र में छात्रावास स्थित होने के कारण सीमित सुविधायें हैं। महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने के पश्चात् ही छात्रावास में प्रवेश हेतु आवेदन करना है। प्राचार्य/छात्रावास अधीक्षक से प्राप्त समय-समय से निर्दिष्ट नियमों का पालन करना होगा।

चरित्र प्रमाण पत्र/स्थानान्तरण प्रमाण पत्र/प्रव्रजन प्रमाण पत्र -

1. चरित्र प्रमाण-पत्र एवं स्थानान्तरण प्रमाण पत्र महाविद्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र हेतु रू.10/- शुल्क जमा करना होगा तथा शुल्क की रसीद आवेदन पत्र के साथ लगाना आवश्यक होगा। चरित्र प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति के लिए निर्धारित शुल्क आवेदन पत्र के साथ देना अनिवार्य होगा।
2. स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिये विभिन्न सम्बन्धित विभागों से अदेयता प्रमाण-पत्र (नो-ड्यूज) प्रस्तुत करना छात्र का उत्तरदायित्व होगा। स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति प्राप्त करने हेतु छात्र/छात्रा को नोटरी शपथ पत्र (एफीडेविट) प्रस्तुत करना होगा तथा निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।
3. माइग्रेशन सर्टिफिकेट विश्वविद्यालय से निर्गत होता है इस हेतु निर्धारित प्रारूप प्राचार्य से अग्रसारित करना होगा।
4. जिस तिथि को प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो उससे एक सप्ताह पूर्व या विशेष परिस्थिति में तीन दिन पूर्व आवेदन पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करना आप और महाविद्यालय के लिए सुविधाजनक होगा।
5. छात्र/छात्रा महाविद्यालय में पूर्ण अनुशासित रहे। चरित्र प्रमाण पत्र में उनके द्वारा किये गये अनुशासनहीनता को दर्शाया जा सकता है।

अवधान द्रव्य (काशनमनी) की वापसी- महाविद्यालय छोड़ने एवं स्थानान्तरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही कोई छात्र/छात्रा अवधान द्रव्य (काशनमनी) को वापस लेने का अधिकारी होगा। परन्तु दो वर्ष की अवधि में अवधान द्रव्य न लेने की स्थिति में यह धन महाविद्यालय के मद में चला जायेगा। अवधान राशि की वापसी की कार्यवाही वर्ष के जनवरी और फरवरी माह में होगी। धनराशि स्थानान्तरण प्रमाण पत्र निर्गत होने के पश्चात ही दी जायेगी। अवधान राशि प्राप्त करने के लिए स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की छाया प्रति आवेदन पत्र के साथ लगाना अनिवार्य है। अन्यथा इस प्रकरण पर विचार सम्भव नहीं होगा।

विशेष - **महाविद्यालय के वे सभी संस्थागत छात्र/छात्रा जो डेलीगेसी अथवा किराये के मकान में रहकर शिक्षा ग्रहण कर रहें हैं वे अपने मकान मालिक/रिश्तेदार का नाम, पूरा पता तथा सम्पर्क मोबाइल नं0 दो प्रतियों में लिखकर नियन्ता कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करावे जिससे उनकी सुरक्षा हेतु समुचित कार्यवाही का प्रयास किया जा सकें।**

सहयोग निधि - महाविद्यालय प्रबन्ध समिति की बैठक द्वारा महाविद्यालय के शैक्षिक उन्नयन एवं छात्र/छात्राओं की आधारभूत आवश्यकताओं जिसके लिये शासन द्वारा अनुदान की व्यवस्था नहीं है की पूर्ति के लिये उ.प्र. विश्वविद्यालय अधिनियम 1974 की धारा 46 (ए) के प्रावधान के अन्तर्गत संस्थागत छात्र/छात्राओं के अभिभावकों से रू 500/- वार्षिक सहयोग राशि की अपील हेतु संकल्प पारित किया है। यह राशि प्रवेश के लिये शर्त न होकर स्वैच्छिक होगी इस प्रकार के अंशदान से प्राप्त धनराशि का उपयोग महाविद्यालय के सेवानिवृत्त/ मृत्यु /अवकाश अथवा रिक्त के परिणाम स्वरूप शिक्षकों के खाली पदों पर तद्अनुसार छात्र/छात्राओं की बढ़ी संख्या को समुचित शिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु अतिरिक्त पदों पर (जिसके लिए शासन से सहायता नहीं मिली है) नियुक्ति तथा अन्य विकास सम्बन्धी कार्यो में किया जायेगा।

शिक्षणेत्तर कार्यक्रम - (एन.सी.सी, एन.एस.एस., रोर्वस रेंजर्स, क्रीड़ा, सांस्कृतिक, विभागीय परिषद एवं पत्रिका प्रकाशन)

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज का अध्ययन केन्द्र

हमारी संस्था में विगत वर्षो से अध्ययन केन्द्र सफलता पूर्वक संचालित हो रहा है। इसके अन्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में व्यवसाय कर रहे, नौकरी कर रहे महिला/पुरूष भी लाभ उठा सकते हैं। निम्न पाठ्यक्रमों में वर्ष में दो बार (जुलाई / जनवरी) में प्रवेश होता है अभ्यर्थी द्वारा जमा किये गये शुल्क में ही उन्हें अध्ययन सामग्री उपलब्ध करायी जाती है। प्रवेश के लिए छात्र/छात्रा **http://www.uprtou.ac.in** पर लिंक से अध्ययन केन्द्र S-1899 का चयन कर अपना प्रवेश ऑनलाइन कर सकते हैं। अनुमोदित पाठ्यक्रम की सूची निम्नवत है :-

B.A. (Hindi, English, Sanskrit, Economics, History, Geography, Pol. Science, Public Administration, Philosophy, Sociology, Education, Maths, Yoga), **B.A.** (Tourism), **B.Sc** (Bio & Maths Groups, Statistics, Biochemistry), **B.Sc** (Human Nutrition), **CCSS** (BA & B.Sc.), **M.A.** (Hindi, English, Sanskrit, Economics, History, Geography, Po. Science, Philosophy, Sociology, Education) **MSW, MA/M.Sc.** (Biochemistry, Food & Nutrition), PGDEA, PGDVGCC, PGDDE, PGDBSPS, PGDBSD, PGDESD, PGDRS, PGDJMC, PGDRJMC, PGDT, PGDFH, PGDCWH, PGDST, PGDGSW, PGDDTN, PGDFSQM, PGDYO, DYO DDT, DVAPFV, DWM, DAG, DABM, DRD, DVM, DGST DECE, DCDN, DHEN, DHA, DFD, DTD, DIP, DJD, DPC, DASC, CES, CAC, CWED, CCY, CGST, CPHT & VA, CCMAP, CCMP, CLPS, CPG, COF, CNF, CCCN, CRJMC, CHR, CWWT, CNSD, CASC, CCTT, CFD, CTD, CVW, CFS, CPLT, CPT, APCNF, APCCN, APY, APPR, APPR, APDF, APGG, APKD, APAY, APAM, APCAA, APJK, APIBS.

क्रीड़ा - खेलकूद पर विशेष महत्व दिया जाता है तथा व्यवहार कुशल और अच्छे आरचण वाले विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता भी दी जाती है। प्राचार्य की अनुमति से ही महाविद्यालय का कोई खिलाड़ी बाहरी टीम में खेलने का अधिकारी होगा। वार्षिक क्रीड़ा समारोह का आयोजन किया जाता है तथा विजयी खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र दिया जाता है।

राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.)- राष्ट्रीय सेवा की दो इकाई महाविद्यालय में संचालित है जिसके द्वारा एक दिवसीय शिविर व सप्तदिवसीय शिविर के साथ विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। भारत सरकार के खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित इस योजना के प्रमाण-पत्र से विभिन्न स्थानों पर नियमानुसार अधिभार प्राप्त होता है।

रोवर्स रेंजर्स - महाविद्यालय में रोवर्स एवं रेंजर्स की इकाई गठित है जिसमें प्रतिभागी छात्र-छात्राओं को प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है इस प्रमाण पत्र से अनेक स्थानों पर वरीयता मिलती है।

एन.सी.सी. - महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं का एन.सी.सी. कैडेट्स हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था है। जो छात्र/छात्रा एन. सी.सी. में प्रशिक्षण हेतु प्रवेश के इच्छुक हो वे मेजर मुकेश कुमार (प्रोफेसर, भौतिक विज्ञान विभाग) से सम्पर्क कर प्रवेश प्राप्त कर सकते है।

साँस्कृतिक कार्यक्रम - छात्रों में साहित्यक एवं सांस्कृति अभिरूचि पैदा करने हेतु महाविद्यालय उन्हें यथोचित रूप से प्रोत्साहित करने का प्रयत्न करता है। महाविद्यालय में विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित समारोहो तथा सेमिनारों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होता हैं। इसके अतिरिक्त समय-समय पर वाद-विवाद, कविता, कहानी और निबन्ध प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता है तथा विजेताओं को प्रमाण पत्र दिया जाता है।

पुरातन छात्र सम्मेलन - इसके अतिरिक्त महाविद्यालय में हर वर्ष अभिभावक-शिक्षक सम्मेलन एवं पुरातन छात्र सम्मेलन भी आयोजित होता है। इनमें विचार-विमर्श से महाविद्यालय के चतुर्दिक विकास की सहायता मिलती हैं।

रोजगार मेला - संस्थागत छात्र/छात्राओं को रोजगार हेतु उ.प्र. सरकार की योजनानुसार रोजगार मेला के माध्यम से योग्य छात्र/छात्राओं का कैम्पस सेलेक्शन कराया जाता है।

कैरियर काउन्सलिंग - प्रयास किया जाता है कि अन्तिम वर्ष के छात्र/छात्राओं को भविष्य में कैरियर बनाने हेतु कैरियर काउन्सलिंग आन्तरिक एवं बाह्य विशेषज्ञों द्वारा कराया जाता है।

छात्रसंघ - छात्र संघ चुनाव शासन के निर्देशानुसार कराना सुनिश्चित किया जाता है।

महाविद्यालय पत्रिका -(शिवा)- महाविद्यालय द्वारा वार्षिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है। इसके लिए छात्र/छात्रा अपना मौलिक लेख और यदि अनूदित है तो मूल लेखक/कवि का नाम अंकित करके यथा सूचित तिथि तक पत्रिका के मुख्य सम्पादक को दे दें। पत्रिका के प्रकाशन सम्बन्धी समस्त कार्यों का निष्पादन सम्पादक मण्डल करेगा।

NEP NEW COURSE PROGRAM

Cumulative Minimum Credits Required for Award of Certificate/ Diploma/Degree			Subject-I	Subject-II	Subject-III	Vocational/ Skill Enhancement Courses (SEC) with Summer Internship	Co-Curricular Ability Enahncement Courses (AEC)	Research Project/ dissertation /Internship /Field trip/ Survey Work	Minimum Credits For the Year
			Major (Core)	Major (Core)	Minor Multi Disciplinary	Minor	Minor	Major	
			4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	6 Credits	3 Credits	2 Credits	3/4 Credits	
	Year	Semester	Own Faculty	Own Faculty	Other Faculty	Vocational Skill Enhancement Courses (SEC) With Summer Internship	Co-Curricular Ability enhancement Courses (AEC)	Inter/Intra Faculty Related to Main Subject	
(40) Certificate in Faculty	1	I	Th-1(6) or Th-1 (4) + Pract-I (2)	Th-1(6) or Th-1 (4) + Pract-I (2)	1 (6)	1 (3)	1 (2)		40
		II	Th-1(6) or Th-1 (4) + Pract-I (2)	Th-1(6) or Th-1 (4) + Pract-I (2)		1 (3)	1 (2)		
(40+40) Diploma in Faculty	2	III	Th-1(6) or Th-1 (4) + Pract-I (2)	Th-1(6) or Th-1 (4) + Pract-I (2)	1 (6)	1 (3)	1 (2)		40
		IV	Th-1(6) or Th-1 (4) + Pract-I (2)	Th-1(6) or Th-1 (4) + Pract-I (2)			1 (2)	1 (3)	
(80+40) 3-Year UG Degree	3	V	Th-2(5) or Th-2 (4) + Pract-I (2)	Th-2(5) or Th-2 (4) + Pract-I (2)					40
		VI	Th-2(5) or Th-2 (4) + Pract-I (2)	Th-2(5) or Th-2 (4) + Pract-I (2)					

Fourth Year									
*Aprenticeship /Internship embeded UG Degree Programme	4		12 Months Apprenticeship/ Internship through NATS or from equivalent organization / Industry / Institute			1 (40)			40
OR									
(120+40=160) 4-Year UG Degree (Honors)	4	VII	Th-5(5) or Th-4 (4) + Pract-I (2)			1 (40)			40
		VIII	Th-5(5) or Th-4 (4) + Pract-I (4)						
OR									
(120+40=160) 4-Year UG Degree (Honors with Research)	4	VII	Th-4(4) or Th-3 (4) + Pract-I (4)						40
		VIII	Th-4(5) or Th-3 (4) + Pract-I (4)		Students who secure 75% Marks in the first 6 Semesters				
{200} Master in Faculty	5	IX	Th-4(4) or Th-3 (4) + Pract-I (4)					1 (4)	
		X	Th-4(4) or Th-3 (4) + Pract-I (4)					1 (4)	
{216} PGDR in Subject	6		TH-4 (2)	1(4) Research Methodology				1 (4)	16
Ph.D. in Subject	6,7,8	XII - XVI						Ph.D. thesis	

* Apprenticeship/Internship embedded degree programme degree holder have to do 2 year PG programme.

महाविद्यालय परिवार

प्रो. अरविन्द कुमार सिंह
प्राचार्य
मो0 9415037849, 9936678170
www.sppgcollege.co.in, E-mail : shivpatipgcollege@gmail.com, sppgcollege604@gmail.com

प्राध्यापक कला संकाय

1.	प्रो. अरविन्द कुमार सिंह	-	भूगोल विभाग	9415037849
2.	प्रो. सुशील कुमार	-	समाजशास्त्र विभाग	9554148355
3.	डॉ. अरविन्द कुमार सिंह	-	अर्थशास्त्र विभाग	7839280368
4.	श्री इन्द्रदेव वर्मा	-	भूगोल विभाग	9628930346

प्राध्यापक भाषा संकाय

1.	प्रो. अमित सिंह	-	अंग्रेजी विभाग	9457446498
2.	डा. सत्य नारायण दास	-	संस्कृत विभाग	9758358542

प्राध्यापक विज्ञान संकाय

1.	प्रो. (मेजर) मुकेश कुमार	-	भौतिक विज्ञान विभाग	9454151378
2.	डॉ. अखिलेश शर्मा	-	प्राणि विज्ञान विभाग	9984127177
3.	डॉ. धर्मेन्द्र सिंह	-	प्राणि विज्ञान विभाग	9415528080
4.	डॉ. रामकिशोर सिंह	-	भौतिक विज्ञान विभाग	9718631250
5.	श्री राजू प्रजापति	-	वनस्पति विज्ञान विभाग	7523844989
6.	श्री देवेन्द्र सिंह	-	गणित विभाग	9897733396
7.	डॉ. अजय कुमार सिंह	-	रसायन विज्ञान विभाग	8004299889
8.	डॉ. उमाशंकर प्रसाद यादव	-	भौतिक विज्ञान विभाग	9838317270

प्राध्यापक शिक्षक शिक्षा विभाग (बी.एड.)

1.	प्रो. प्रमोद कुमार मिश्र	-	बी.एड. विभाग	9450884213
2.	डॉ. प्रवीण कुमार		ʼʼ	9456896850
3.	श्री जयराम		ʼʼ	8707862318
4.	डा. रमेश कुमार		ʼʼ	8840893957
5.	डा. तुषार रंजन		ʼʼ	7388170170
6.	श्री शशि शेखर		ʼʼ	7905224388

केन्द्रीय पुस्तकालय

1.	डॉ. धर्मेन्द्र सिंह	-	प्रभारी	9415528080
2.	श्री राजकुमार सोनकर	-	पुस्तकालय लिपिक	9984554461

छात्रावास

1.	डा. राम किशोर सिंह	-	छात्रावास अधीक्षक	9718631250
2.	डा. अजय कुमार सिंह	-	सहायक छात्रावास अधीक्षक	8004299889
3.	श्री सुभाष यादव	-	चौकीदार	9984010836

कार्यालय

1.	श्री पंकज कुमार सिंह	-	कार्यालय अधीक्षक	9415193779, 9839761474
2.	श्री रत्नेश कुमार सोनी	-	लेखाकार	9415512714
3.	श्री राजीव कुमार मिश्र	-	कनिष्ठ लिपिक	7800856941
4.	श्री अश्वनी कुमार सिंह	-	स्टेनो/आशुलिपिक	9918021515

प्रयोगशाला सहायक

1.	श्री रवि प्रकाश वर्मा	-	वरिष्ठ प्र.स	8318779196
2.	श्री अमित कुमार सिंह	-	कनिष्ठ प्र.स.	9839261255
3.	श्री मो. शमशीरूल इस्लाम	-	कनिष्ठ प्र.स.	8090207107
4.	श्री प्रेमचन्द्र	-	कनिष्ठ प्र.स.	9839211893
5.	श्री राजीव कुमार वर्मा	-	कनिष्ठ प्र.स.	9919444238

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

1. श्री नागे
2. श्री प्रदीप कुमार मिश्र
3. श्री रामनरेश
4. श्री रविन्द्र कुमार
5. श्री रामचन्द्र
6. श्री अम्बिका शुक्ला
7. श्री पंकज गौड़
8. श्री सुभाष यादव
9. श्री प्रतीक कुमार मिश्र
10. श्री सुरेन्द्र कुमार
11. श्री विनोद कुमार
12. श्री रवीश चन्द्र चौबे
13. श्री बलराम चौधरी
14. श्री शिवशंकर यादव
15. श्री संजय कुमार
16. श्री अनिल कुमार
17. श्री अविनाश कुमार
18. श्री सुशील कुमार यादव
19. श्री दिनेश कुमार
20. श्रीमती पूनम श्रीवास्तव
21. श्रीमती शालिनी सिंह
22. श्री राबिन शर्मा

शिवपति स्नातकोत्तर महाविद्यालय
शिवपति स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शोहरतगढ़-सिद्धार्थनगर
शिवपति स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शोहरतगढ़-सिद्धार्थनगर
Ganakul, Uttar Pradesh, India

महाविद्यालय का परिधान

महाविद्यालय का मुख्य प्रवेश द्वार

महाविद्यालय का प्रशासनिक भवन

महाविद्यालय का छात्रावास

राजघराना परिवार के सदस्यों ने श्रीराम जानकी मंदिर में लगाई हाजिरी, किया पूजन-अर्चन

युवा सप्ताह के समापन पर हुई संगोष्ठी, विवेकानन्द जी के विचारों की डिजिटल युग में प्रासंगिकता पर विमर्श

डॉ. विनोद कुमार सिंह के स्थानांतरण पर गरिमामय विदाई समारोह का आयोजन

छात्राओं को दिया आत्मनिर्भरता का संदेश

- आत्मरक्षा, साइबर अपराध से बचाव और अधिकारों की जानकारी पर दिया जोर
- छात्राओं में अनुशासन, जागरूकता और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की अपील

शिवपति महाविद्यालय में राष्ट्रीय कैडेट कोर दिवस पर हुआ भव्य आयोजन

कठिन परिस्थितियों से निपटने की क्षमता भी प्रदान करते हैं, रोवर्स-रेंजर्स शिविर : एसडीएम

एसडीएम व चेयरमैन की उपस्थिति में क्रीड़ा महोत्सव समारोह का हुआ समापन

शिवपति महाविद्यालय में सड़क सुरक्षा पर नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता आयोजित

एसडीएम व चेयरमैन की उपस्थिति में क्रीड़ा महोत्सव समारोह का हुआ समापन

एसपीपीजी कालेज में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम हुआ सम्पन्न

400 मीटर दौड़ में महेश शर्मा एवं चक्र क्षेपण में प्रीति सिंह प्रथम स्थान पर

शिवपति महाविद्यालय में "Sardar@150" पर एकता मार्च पदयात्रा का भव्य आयोजन

राष्ट्र एक भाव-भावना से जुड़ा शब्द है : प्रो. अरविंद

नगर पंचायत शोहरतगढ़ के वार्डों में चला एनएसएस का स्वच्छता एवं पर्यावरण जागरूकता अभियान

भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ

एसपीपीजी महाविद्यालय में मिशन शक्ति –5 का प्रोजेक्टर से हुआ सजीव प्रसारण

दैनिक बुद्ध का संदेश

शोहरतगढ़ / सिद्धार्थनगर। उत्तर प्रदेश सरकार की महिला सशक्तिकरण योजना मिशन शक्ति फेस–5 का सजीव प्रसारण शनिवार प्रातः 11:00 बजे शिवपति स्नातकोत्तर महाविद्यालय शोहरतगढ़ के लोवर हाल में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं उप मंत्री गण के प्रेरक उद्बोधन [illegible] छात्र–छात्राओं ने उत्साहपूर्वक [illegible] तथा इस अभियान को जन–जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का [illegible] महाविद्यालय के प्राचार्य [illegible] अरविन्द कुमार सिंह ने [illegible] शक्ति योजना की पृष्ठभूमि, [illegible] और सामाजिक प्रभाव पर [illegible] से प्रकाश डाला। उन्होंने [illegible] कि उत्तर प्रदेश सरकार [illegible] संचालित यह योजना [illegible] की सुरक्षा, सम्मान और [illegible] सशक्तिकरण को समर्पित है, [illegible] उद्देश्य समाज में [illegible] को आत्मनिर्भर बनाना, [illegible] अधिकारों के प्रति जागरूक [illegible] तथा उन्हें नेतृत्व के अवसर छात्राओं को सम्बोधित करते हुए

कहा कि मिशन शक्ति केवल एक सरकारी पहल नहीं, बल्कि यह एक जन–आन्दोलन है, जिसमें प्रत्येक नागरिक की भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने छात्राओं को प्रेरित किया कि वे अपने जीवन में आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दें तथा समाज में सकारात्मक बदलाव लाने को [illegible] उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि महाविद्यालय स्तर पर इस योजना के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम, कार्यशालाएं और संवाद सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिससे छात्राओं को उनके अधिकारों, कानूनी और सुरक्षा उपायों की जानकारी मिल सके। प्राचार्य प्रो० सिंह ने मिशन शक्ति को एक ऐतिहासिक पहल बताते हुए सभी उपस्थित छात्र–छात्राओं, शिक्षकों [illegible] कि वे इस अभियान को जन–जन तक पहुंचाने में सहयोग करें और एक सुरक्षित, सम्मानजनक एवं सशक्त समाज के निर्माण में अपना योगदान दें। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राध्यापकगण मीडिया प्रभारी डॉ० धर्मेंद्र सिंह, मेजर मुकेश कुमार डॉ० सत्यनारायण दास, इन्द्रदेव वर्मा, डॉ० अजय कुमार सिंह, डॉ० शिष्टपाल सिंह, डॉ० जय नारायण त्रिपाठी, रत्नेश सोनी, अश्विनी सिंह आदि तथा छात्र–छात्राओं में श्वेता यादव, खुशी पाण्डेय, सबा, शिवानी आदि की सक्रिय सहभागिता रही। सभी ने मिशन शक्ति के उद्देश्यों को आत्मसात करते हुए समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प लिया।

कार्यक्रम के अन्त में महिला सुरक्षा, सम्मान एवं सशक्तिकरण के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु विभिन्न सुझावों पर चर्चा की गई। महाविद्यालय परिवार ने इस अभियान को निरंतर समर्थन देने का आश्वासन दिया। इस कार्यक्रम का आयोजन में राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी डॉ० राम किशोर सिंह एवं स्वयं सेवकों का विशेष [illegible]

राष्ट्रगान

जन-गण-मन अधिनायक जय हे,
भारत भाग्य विधाता ।
पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा,
द्राविड़, उत्कल, बंग
विंध्य-हिमाचल-यमुना, गंगा,
उच्छल, जलधि तरंग।
तव शुभनाम जागे,
तव शुभ आशिष मांगे।
गाहे तव जय गाथा,
जन-गण-मंगलदायक जय हे,
भारत भाग्य विधाता।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय, जय, जय, जय हे।

राष्ट्रगीत

वन्दे मातरम्
सुजलां सुफलाम् मलयजशीतलाम्
शस्यश्यामलाम् मातरम्।
शुभ्रज्योत्स्नापुलकितयामिनीम्
फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीम्
सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीम्
सुखदां वरदां मातरम् ॥1॥
कोटि कोटि-कण्ठ-कल-कल-निनाद-कराले
कोटि-कोटि-भुजैर्धृत-खरकरवाले,
अबला केन मा एत बले।
बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीं
रिपुदलवारिणीं मातरम ॥2॥
तुमि विद्या, तुमि धर्म तुमि हृदि, तुमि मर्म
त्वम् हि प्राणारू शरीरे बाहुते तुमि मा शक्ति,
हृदये तुमि मा भक्ति,
तोमारई प्रतिमा गडी मन्दिरे-मन्दिरे ॥3॥
त्वम् हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी
कमला कमलदलविहारिणी
वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वाम्
नमामि कमलाम् अमलां अतुलाम्
सुजलां सुफलाम् मातरम्
वन्दे मातरम्
श्यामलाम् सरलाम् सुस्मिताम् भूषिताम्
धरणीं भरणीं
मातरम् ॥ 5॥

VISION तराई क्षेत्र में सबके लिए उच्च शिक्षा की सुविधा हो। **Higher Education For All In Tarai Region.**

MISSION उच्च शिक्षित, आत्म-सम्मानित एवं आत्म-विश्वासी युवा-शक्ति का विकास जो सबल, अनुशासित और गौरवशाली समाज की रचना में सहायक हो।

To Develop A Highly Educated, Self Respecting And Confidant Youth, Who Can Be Helpful In Construction Of Strong Disciplined And Proud Society.